7

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

पत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

रण संख्याः- 379/2022

1 अमर सिंह पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

2 आदराम पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

-:वादीगण

<u>बनाम</u>

1 ताराचन्द पुत्र श्री मनफूल जाति सुनार निवासी 14 केएसपी तहसील व जिला हनुमानगढ़

2 रामेश्वर लाल पुत्र श्री मनफुल राम जाति सुनार निवासी 14 केएसपी तहसील व जिला हनुमानगढ़

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़

4 लालचन्द पुत्र पूरा राम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी किशनपुराप दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़

5 भूपराम पुत्र पूरा राम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी किशनपुराप दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ

6 चन्द्रकला पत्नी स्व. श्री कृष्ण लाल पुत्र पूरा राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़

7 प्रदीप पुत्र स्व. श्री कृष्ण लाल पुत्र पूरा राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़

8 ओमप्रकाश पुत्र श्री बेगाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल चक 14 केएसपी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

9 गिरदावरी पत्नी रामस्वरूप पुत्र बेगा राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़

10 निशांत पुत्र रामस्वरूप पुत्र बेगा राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल चक 14 केएसपी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

11 गीतादेवी पत्नी स्व. हेतराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल 2 एमजीएम रोझडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

12 रामचन्द्र पुत्र हेतराम पुत्र स्व. बीरबलराम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल 2 एमजीएम रोझडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

13 रामेश्वर पुत्र हेतराम पुत्र स्व. बीरबलराम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल 2 एमजीएम रोझडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

14 विनोद पुत्र हेतराम पुत्र स्व. बीरबलराम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल 2 एमजीएम रोझडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

15 सुभाष पुत्र हेतराम (फौत)

15/1 रेखा पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी चक 2 एसजीएम रोजडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

15/2 भीमसैन पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी चक 2 एसजीएम रोजडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

8

15/3 तानिया पुत्री सुभाष जाति जाट निवासी चक 2 एसजीएम रोजडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

16 ईमीचंद पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मुण्डा हाल पुराना वार्ड 3 नया वार्ड 4 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

17 जसवन्त पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मुण्डा हाल पुराना वार्ड 3 नया वार्ड 4 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

18 मांगीलाल पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मुण्डा हाल पुराना वार्ड 3 नया वार्ड 4 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

19 रामजस पुत्र हेतराम पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल चक 2 एमजीएम रोझडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

20 रामकरण पुत्र हेतराम पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल चक 2 एमजीएम रोझडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

21 हंसराज पुत्र हेतराम पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल चक 2 एमजीएम रोझडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री देवीलाल भाभूं - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मोहनलाल सिलू - वकील प्रतिवादी सं. 1, 2
3. श्री रामकुमार कस्वां - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 16, 17
4. श्री देवदत भीडासरा - वकील प्रतिवादी सं. 18
5. स्वयं इकबालदावा - प्रतिवादी सं. 5, 6, 7, 8, 9, 10
6. श्री गुरप्रीतपाल सिंह - वकील प्रतिवादी सं. 11 ता 14, 19 ता 21
7. एकपक्षीय कार्यवाही - प्रतिवादी सं. 4, 15/1 ता 15/3
8. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 3

-:<u>निर्णय</u>:-

दिनांक 10.02.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 16 के.एस.पी. जमाबन्दी सम्वत 2077 से 2080 खाता संख्या- 4/140 पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 3/1/0.228 नहरी, 3/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 4/1/0.228 नहरी, 4/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 5/1/0.228 नहरी, 5/2/0.025 गै. मु. रास्ता, 6 ता 8 सालम नहरी, 13 ता 18 सालम नहरी, 23 ता 25 सालम नहरी कुल तादादी 3.795 हेक्टेयर नहरी मय गै.मु. रास्ता सहित में सें अमरसिंह के नाम 1898/3795 हिस्सा विवादित एव आदराम के नाम 633/3795 हिस्सा विवादित एवं ताराचन्द के नाम 1265/7590 हिस्सा विवादित एवं रामेश्वर के नाम 1265/7590 हिस्सा विवादित एवं पूराराम के नाम 503/3795 हिस्सा विवदित एवं बेगाराम के नाम 503/3795 हिस्सा विवादित एवं बीरबल के नाम 484/3795 हिस्सा विवादित, सुलतान के नाम 8930/3795 हिस्सा विवादित दर्ज रिकार्ड खातेदारी है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

सहायक कलेक्टर

9

यह कि उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 ने काफी अर्सा पूर्व आपसी घराघरू बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारानुसार वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है उक्त भूमि में पूराराम, बेगाराम, बीरबल, सुलतान का नाम अनावश्यक रूप से दर्ज है, उक्त भूमि काफी अर्सा पूर्व से ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा उक्त भूमि में पूराराम, बेगाराम, बीरबल, सुलतान का कोई कब्जा नहीं रहा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने बंटवारा निम्न प्रकार से किया हुआ है-

हिस्सा वादी सं. 01 अमरसिंहः-

तहसील हनुमानगढ के चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 4/1/0.228 नहरी, 4/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 5/1/0.228 नहरी, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 6/0.253 नहरी, 7/0.253 नहरी, 14/0.127 (दक्षिणी हिस्सा कि.न. 7 से चिपता हुआ), 15/0.253 नहरी, 16/0.253 नहरी, 25/0.253 नहरी, तादादी 1.898 हेक्टेयर कृषि भुमि बंटवारा में प्राप्त हुई व बंटवारा के अनुसार ही वादी उक्त भुमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है।

हिस्सा वादी सं. 02 आदरामः-

तहसील हनुमानगढ के चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 3/0.253 नहरी 8/0.253 नहरी 13/0.127 (दक्षिणी हिस्सा कि.न. 8 से चिपता हुआ), तादादी 0.633 हेक्टेयर कृषि भुमि बंटवारा में प्राप्त हुई व बंटवारा के अनुसार ही वादी उक्त भुमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है।

हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 ताराचन्दः-

तहसील हनुमानगढ के चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 14/0.126 (उतरी हिस्सा कि.न. 17 से चिपता हुआ), 17/0.253 नहरी, 24/0.253 नहरी, तादादी 0.632 हेक्टेयर कृषि भुमि बंटवारा में प्राप्त हुई व बंटवारा के अनुसार ही वादी उक्त भुमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है।

हिस्सा प्रतिवादी सं. 02 रामेश्वरः-

तहसील हनुमानगढ के चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 13/0.126 (उतरी हिस्सा कि.न. 18 से चिपता हुआ), 18/0.253 नहरी, 23/0.253 नहरी, तादादी 0.632 हेक्टेयर कृषि भूमि बंटवारा में प्राप्त हुई व बंटवारा के अनुसार ही वादी उक्त भुमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है।

यह कि वाद पत्र की चरण सख्या दो में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के साथ पूराराम, बेगाराम, बीरबल, सुलतान का नाम उक्त खाता संयुक्त रूप विवादित हिस्सा में अनावश्यक रूप से दर्ज है खाता विवादित होने के कारण रकम राज, पानी की बारी, बट, सींव आदि का विवाद रहता है इस प्रकार वादीगण अपने हिस्सा मे आई अराजी का सुधार एवं विकास नही कर पा रहे है इसलिये वादीगण बंटवारा मे प्राप्त हुई कृषि भुमि की पैरा संख्या 03 के अनुसार विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है उक्त भूमि में पूराराम, बेगाराम, बीरबल, सुलतान का नाम अनावश्यक रूप से दर्ज है, उक्त भूमि काफी अर्सा पूर्व से ही वादीगण ब प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा उक्त भूमि में पूराराम, बेगाराम, बीरबल, सुलतान का कोई कब्जा नहीं रहा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने बंटवारा निम्न प्रकार से किया हुआ है-

हिस्सा वादी सं. 01 अमरसिंहः-

तहसील हनुमानगढ के चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 4/1/0.228 नहरी, 4/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 5/1/0.228 नहरी, 5/2/0.025 गै.मु.

10

...ा, 6/0.253 नहरी, 7/0.253 नहरी, 14/0.127 (दक्षिणी हिस्सा कि.न. 7 से चिपता हुआ), 15/0.253 नहरी, 16/0.253 नहरी, 25/0.253 नहरी, तादादी 1.898 हेक्टेयर कृषि भुमि ...बंट्वारा में प्राप्त हुई व बंट्वारा के अनुसार ही वादी उक्त भुमि पर काबिज होकर काश्त करते आ ...रहा है।

हिस्सा वादी सं. 02 आदरामः-

तहसील हनुमानगढ के चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 3/0.253 नहरी 8/0.253 नहरी 13/0.127 (दक्षिणी हिस्सा कि.न. 8 से चिपता हुआ), तादादी 0.633 हेक्टेयर कृषि भुमि बंट्वारा में प्राप्त हुई व बंट्वारा के अनुसार ही वादी उक्त भुमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है।

हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 ताराचन्दः-

तहसील हनुमानगढ के चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 14/0.126 (उतरी हिस्सा कि.न. 17 से चिपता हुआ), 17/0.253 नहरी, 24/0.253 नहरी, तादादी 0.632 हेक्टेयर कृषि भुमि बंट्वारा में प्राप्त हुई व बंट्वारा के अनुसार ही वादी उक्त भुमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है।

हिस्सा प्रतिवादी सं. 02 रामेश्वरः-

तहसील हनुमानगढ के चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 13/0.126 (उतरी हिस्सा कि.न. 18 से चिपता हुआ), 18/0.253 नहरी, 23/0.253 नहरी, तादादी 0.632 हेक्टेयर कृषि भुमि बंट्वारा में प्राप्त हुई व बंट्वारा के अनुसार ही वादी उक्त भुमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है।

यह कि वाद पत्र की चरण सख्या दो में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के साथ पूराराम, बेगाराम, बीरबल, सुलतान का नाम उक्त खाता संयुक्त रूप विवादित हिस्सा में अनावश्यक रूप से दर्ज है खाता विवादित होने के कारण रकम राज, पानी की बारी, बट, सींव आदि का विवाद रहता है इस प्रकार वादीगण अपने हिस्सा मे आई अराजी का सुधार एवं विकास नही कर पा रहे है इसलिये वादीगण बंट्वारा मे प्राप्त हुई कृषि भुमि की पैरा संख्या 03 के अनुसार विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है ताकि वादीगण अपने हिस्सा व प्राप्त आराजी का पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग कर सके इसलिए वादीगण अपने बंट्वारा में प्राप्त हुई आराजी का विभाजन करवाने एवं पूराराम बेगाराम बीरबल सुलतान का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है।

यह है कि वादीगण ने विभाजन में अपने हिस्सा में आई भूमि विभाजन व कब्जा अनुसार नाम लगवाने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे और आखिर दिनांक 10.08.2022 को इनकार हो गये, बस यही वाद का कारण है।

इस्तदुआः- कि वाद पत्र के पैरा सं. 3 अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण के नाम से खाता विभाजन कर इंतकाल दर्ज किया जावे व वादीगण के नाम से रकमराज अलग कायम किया जावे व अनावश्यक रूप से दर्ज खातेदार पूराराम, बेगाराम, बीरबल, सुलतान का नाम कलमजन किया जावें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे दिलवाया जावें।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल सिलू उपस्थित व वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 4, 15/1 ता 15/3 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 5 ता 10 की ओर से जवाब इकबाल पेश किया। प्रतिवादी सं. 11 ता 14, 19 ता 21 की ओर से जवाबदावा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

10

हमति का पेश किया, साक्ष्य सबूत के तौर पर कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। प्रतिवादी 16, 17 की ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 18 की ओर से जवाब पेश किया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश गया जिस पर वकील प्रतिवादी सं. 16, 17, 18 द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी सं. 16 शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जिस पर वकील वादी द्वारा रह की गई जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष नी गई। मनन किया गया।

अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया है कि प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 16 केएसपी जिसमें दीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 अन्य खातेदारों के साथ अभिलिखित खातेदार है। प्रदश सं. 2, 10 जिसमें पूराराम, बेगाराम, सुलतान व बीरबल के हिस्सा के खरीददार हजूरसिंह आदि का सहमति से खाता विभाजन हुआ है तथा चक 16 केएसपी की 15 बीघा भूमि सुलतान की बेचान होना तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 की खरीदशुदा कब्जाकाश्त की भूमि होना साबित हो रहा है। प्रदश सं. 3 जिसमें इंतकाल सं. 8 से विरास्तन पूराराम व बेगाराम के नाम दर्ज हुई है। प्रदश सं. 4 जिसमें जरिये नामान्तकरण सं. 27 सुलतान द्वारा अपनी अराजी के बेचान हजूरसिंह आदि को किया गया है। प्रदश सं. 5 जिसमें जरिये नामान्तकरण सं. 53 चक 16 केएसपी की 15 बीघा भूमि सुलतान द्वार बेचान किया जाना व वादीगण के नाम दर्ज होने का अंकन है। प्रदश सं. 7 जिसमें जरिये नामान्तकरण सं. 28 सुलतान द्वारा कश्मीरीलाल के पक्ष में बेचान किया गया है। प्रदश सं. 8 नामान्तकरण सं. 120 जिससे साबित होता है कि सुलतान के नाम हिस्सा 0.316 हैक्टेयर पूराराम के नाम दर्ज हो गया तथा सुलतान का प्रश्नगत आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। प्रदश सं. 9 जमाबदी चक 14 केएसपी जिसमें सुलतान व बीरबल की बेचान की गई भूमि गुरदेव सिंह वगैरह के नाम दर्ज होकर खाता अलग कायम हो गया। प्रदश सं. 11 जिसमें पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग जिसमें रकबा प.न. मिन से पैमूद हुआ है। प्रदश सं. 12 जमाबंदी चक 14 केएसपी जिसमें सुलतान द्वारा बेचान की गई भूमि का नामान्तकरण हजूरसिंह वगैरह व कश्मीरीलाल के नाम दर्ज हुआ है। प्रदश सं. 13 जमाबंदी भू-प्रबंध विभाग चक 14 केएसपी जिससे यह साबित है कि 15 बीघा प्रश्नगत भूमि चक से स्थानान्तरित हुई है। प्रदश सं. 14 चक 16 केएसपी जमाबंदी भू-प्रबंध विभाग जिससे साबित होता है कि प्रश्नगत 15 बीघा भूमि परिवर्तित होकर इस चक में पैमूद हुई है। प्रदश सं. 15 जमाबंदी चक 16 केएसपी जिसमें वादी सं. 1 व उसके भाई के नाम 15 बीघा भूमि होना साबित है। प्रदश सं 16 जमाबंदी चक 16 केएसपी है जिसमें वादी सं. 1 ने प्रश्नगत रकबे पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है। प्रदश सं. 17 जमाबंदी चक 16 केएसपी जिसमें वादी सं. 1 एवं उसकी माता के नाम खातदेारी रकबा होना साबित होता है।

वाद पत्र कोई विरोध होने के कारण वाद पत्र में अंकित तथ्यों व जवाब प्रतिदावा में तथ्यों अनुसार तनकीयत कायम की गई।

1 आया प्रश्नगत भूमि जो वाद पत्र के पैरा सं. 2 में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 की खातेदारी एंव कब्जाकाश्त व हक हिस्सा की भूमि है?

- वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 2

2 आया प्रश्नगत भूमि जो राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है वही राजस्व रिकार्ड में अंकित अनुसार सभी प्रतिवादीगण विरास्तन प्राप्त करने व खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है?

- प्रतिवादी सख्या 11 ता 21

अनुतोष -

12

साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण करवाये गये। वादीगण व प्रतिवादी सं. 16 द्वारा अपनी साक्ष्य के अनुसरण में दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये। बहस उभय पक्ष सुनी गई तथा उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार व तनकीवार निर्णय इस प्रकार से है कि -

तनकी नम्बर 1 आया प्रश्नगत भूमि जो वाद पत्र के पैरा सं. 2 में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 की खातेदारी एंव कब्जाकाश्त व हक हिस्सा की भूमि है -

तनकी नम्बर 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था जिसके समर्थन में वादीगण नकल बैयनामा इस न्यायालय में पेश की, जिसमें प्रतिवादी सं. 16 ता 18 के पिता सुलतान पुत्र हरीराम द्वारा मनीराम-अमरसिंह पि. लालचंद के पक्ष में प.न./कि.न. खोलते हुये बैयनामा निष्पादित करवाया गया है, उक्त बैयनामा प्रमाणित प्रति अभाव में साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। परन्तु बैयनामा ताहीद में प्रदश सं. 5 बैयनामा नामान्तकरण सं. 53 चक 16 केएसपी दिनांक 01.09.1992 29.12.1964 जिससे साबित होता है कि प्रतिवादी सं. 16 ता 18 के पिता सुलतान द्वारा मनीराम-अमरसिंह पि. लालंचद के पक्ष में प्रश्नगत भूमि 300 हिस्सा का बेचान किया है। प्रमाणित प्रति नामान्तकरण सं. 32 चक 14 केएसपी दिनांक 28.10.1983 प्रदश 2 है जिससे सुलतान पुत्र हरीराम का हिस्सा 0.316 हैक्टेयर शेष रहना साबित है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चक 14 केएसपी खाता सं. 4 संवत 2038 प्रदश 10 है जिसके द्वारा सहमति से राजस्व अभियान में खाते अलग अलग कायम किये गये है व सुलतान का 0.316 हिस्सा है जो प्रदश 10 से साबित है। तथा प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तकरण सं. 120 चक 14 केएसपी दिनांक 13.05.1998 जो प्रदश 8 है के द्वारा सुलतान का समस्त हिस्सा अर्थात 0.316 पूराराम के नाम दर्ज हुआ है। सुलतान के वारिसान प्रतिवादी सं. 16 ता 18 है जिन्होने वाद वादीगण विरोध किया है जबकि उन्ही के पिता द्वारा जरिये नामान्तकरण सं. 53 प्रदश सं. 5 से अपनी आराजी का बेचान मनीराम-अमरसिहं पि. लालंचद के पक्ष में किया है। प्रतिवादी सं. 11 ता 15, व 19 ता 21 जो बीरबल के वारिसान है उनके द्वारा कोई प्रतिदावा या साक्ष्य आदि पेश नहीं की है, बीरबल पुत्र सुखराम द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया है तथा बीरबल का प्रश्नगत भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है जो नामान्तकरण सं. 32 अर्थात प्रदश 2 से साबित होता है। इसी नामान्तकरण की पुस्त पर बीरबल के सहमति के हस्ताक्षर भी है। शेष प्रतिवादीगण को पुराराम व व बेगाराम के वारिसान है इकबाल दावा पेश कर दावा को स्वीकार किया है तथा प्रदश सं. 2 नामान्तकरण सं. 32 दिनांक 01.11.1983 द्वारा उनका खाता चक 14 केएसपी में अलग कायम हो गया है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से वादीगण ने इस तनकी को साबित किया है। अतः उक्त तनकी वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 - आया प्रश्नगत भूमि जो राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है वही राजस्व रिकार्ड में अंकित अनुसार सभी प्रतिवादीगण विरास्तन प्राप्त करने व खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है -

इस तनकी सं. 2 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सख्या 11 ता 21 पर था। प्रतिवादी सं. 11 ता 21 द्वार ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखित साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे प्रश्नगत कृषि भूमि में सुलतान या बीरबल को कोई हक व हिस्सा शेष बनता हो। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 11 ता 21 के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

अनुतोष - इस प्रकार वाद वादीगण राजीनामा प्रतिवादी सं. 1, 2 डिक्री किया जाता है तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 16, 17 व जवाब दावा प्रतिवादीगण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर

13

-:क्रियात्मक आदेश:-

: वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा विभाजन किया जाता है कि:-

हिस्सा वादी सं. 01 **अमरसिंह:-** चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 4/1/0.228 नहरी, 4/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 5/1/0.228 नहरी, 5/2/0.025 गै. रास्ता, 6/0.253 नहरी, 7/0.253 नहरी, 14/0.127 (दक्षिणी हिस्सा कि.न. 7 से चिपता हुआ), 15/0.253 नहरी, 16/0.253 नहरी, 25/0.253 नहरी, तादादी 1.898 हेक्टेयर।

हिस्सा वादी सं. 02 **आदराम:-** चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 3/0.253 नहरी 8/0.253 नहरी 13/0.127 (दक्षिणी हिस्सा कि.न. 8 से चिपता हुआ), तादादी 0.633 हेक्टेयर।

हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 **ताराचन्द:-** चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 14/0.126 (उतरी हिस्सा कि.न. 17 से चिपता हुआ), 17/0.253 नहरी, 24/0.253 नहरी, तादादी 0.632 हेक्टेयर।

हिस्सा प्रतिवादी सं. 02 **रामेश्वर:-** चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 13/0.126 (उतरी हिस्सा कि.न. 18 से चिपता हुआ), 18/0.253 नहरी, 23/0.253 नहरी, तादादी 0.632 हेक्टेयर। इसी अनुसार इसी अनुसार खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायम किया जाता है।। खातेदार पूराराम, बेगाराम, बीरबल व सुलतान का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल)

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ

14

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः- (मांगी लाल) RAS

प्रकरण संख्याः- 379/2022

1 अमर सिंह पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

2 आदराम पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

-वादीगण

बनाम्

1 ताराचन्द पुत्र श्री मनफूल जाति सुनार निवासी 14 केएसपी तहसील व जिला हनुमानगढ़

2 रामेश्वर लाल पुत्र श्री मनफुल राम जाति सुनार निवासी 14 केएसपी तहसील व जिला हनुमानगढ़

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़

4 लालचन्द पुत्र पूरा राम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी किशनपुराप दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़

5 भूपराम पुत्र पूरा राम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी किशनपुराप दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ

6 चन्द्रकला पत्नी स्व. श्री कृष्ण लाल पुत्र पूरा राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़

7 प्रदीप पुत्र स्व. श्री कृष्ण लाल पुत्र पूरा राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़

8 ओमप्रकाश पुत्र श्री बेगाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल चक 14 केएसपी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

9 गिरदावरी पत्नी रामस्वरूप पुत्र बेगा राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़

10 निशांत पुत्र रामस्वरूप पुत्र बेगा राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल चक 14 केएसपी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

11 गीतादेवी पत्नी स्व. हेतराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल 2 एमजीएम रोझडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

12 रामचन्द्र पुत्र हेतराम पुत्र स्व. बीरबलराम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल 2 एमजीएम रोझडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

13 रामेश्वर पुत्र हेतराम पुत्र स्व. बीरबलराम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल 2 एमजीएम रोझडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

14 विनोद पुत्र हेतराम पुत्र स्व. बीरबलराम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल 2 एमजीएम रोझडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

15 सुभाष पुत्र हेतराम (फौत)

15/1 रेखा पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी चक 2 एसजीएम रोजडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

15/2 भीमसैन पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी चक 2 एसजीएम रोजडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

15/3 तानिया पुत्री सुभाष जाति जाट निवासी चक 2 एसजीएम रोजडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

16 ईमीचंद पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मुण्डा हाल पुराना वार्ड 3 नया वार्ड 4 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

15

17 जसवन्त पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मुण्डा हाल पुराना वार्ड 3 नया वार्ड 4 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

18 मांगीलाल पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी मुण्डा हाल पुराना वार्ड 3 नया वार्ड 4 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

19 रामजस पुत्र हेतराम पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल चक 2 एमजीएम रोझडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

20 रामकरण पुत्र हेतराम पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल चक 2 एमजीएम रोझडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

21 हंसराज पुत्र हेतराम पुत्र बीरबल राम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा हाल चक 2 एमजीएम रोझडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

--प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.</u>

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री देवीलाल भांभू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री मोहनलाल सिलू - वकील प्रतिवादी सं. 1, 2 श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 16, 17 श्री देवदत भीडासरा वकील प्रतिवादी सं. 18 श्री गुरप्रीतपाल सिंह वकील प्रतिवादी सं. 11 ता 14, 19 ता 21 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है किः- **हिस्सा वादी सं. 01 अमरसिंहः-** चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 4/1/0.228 नहरी, 4/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 5/1/0.228 नहरी, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 6/0.253 नहरी, 7/0.253 नहरी, 14/0.127 (दक्षिणी हिस्सा कि.न. 7 से चिपता हुआ), 15/0.253 नहरी, 16/0.253 नहरी, 25/0.253 नहरी, तादादी 1.898 हेक्टेयर। **हिस्सा वादी सं. 02 आदरामः-** चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 3/0.253 नहरी 8/0.253 नहरी 13/0.127 (दक्षिणी हिस्सा कि.न. 8 से चिपता हुआ), तादादी 0.633 हेक्टेयर। **हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 ताराचन्दः-** चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 14/0.126 (उतरी हिस्सा कि.न. 17 से चिपता हुआ), 17/0.253 नहरी, 24/0.253 नहरी, तादादी 0.632 हेक्टेयर। **हिस्सा प्रतिवादी सं. 02 रामेश्वरः-** चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर 139/324 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 13/0.126 (उतरी हिस्सा कि.न. 18 से चिपता हुआ), 18/0.253 नहरी, 23/0.253 नहरी, तादादी 0.632 हेक्टेयर। इसी अनुसार इसी अनुसार खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायम किया जाता है।। इसी अनुसार खातेदार पूराराम, बेगाराम, बीरबल व सुलतान का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे।।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.02.2026 को जारी किया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के डिक्री की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ